छत्तीसगढ़ राज्य

के

जल संसाधन विभाग की

कार्य प्रणाली का

वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन

वर्ष **20**18-19

कार्यालय महालेखाकार **(**लेखा एवं हक़दारी**)**

छत्तीसगढ़, रायपुर

प्राक्कथन

जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का एक महत्वपूर्ण विभाग है। राज्य के वित्तीय-प्रबंधन के लिए जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता/आहरण एवं संवितरण अधिकारी उत्तरदायी है एवं जल संसाधन विभाग के राजस्व की प्राप्ति व भुगतान पर नियंत्रण रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उत्तरदायित्व का सही रूप से निर्वहन हो, इसके लिए शासन ने संहिताएँ, नियमावलियाँ तथा प्रक्रियाएँ निर्धारित की हैं। कार्यप्रणाली को और सुगम/उत्कृष्ट बनाने हेतु समय-समय पर आदेश भी जारी किए जाते हैं। महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा प्रति वर्ष की भांति जल संसाधन विभाग के कार्यप्रणाली, नियम एवं प्रक्रियाओं के पालन में पाई जाने वाली त्रुटियों/कमियों को राज्य शासन के ध्यान में लाने हेतु वर्ष 2018-19 का वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है ।

वर्ष 2018-19 का वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन दो भागों में तैयार कर प्रस्तुत किया गया है। भाग- एक में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा प्रेषित मासिक लेखाओं की जांच के दौरान पाई गई कमियों/त्रुटियों/अनियमितताओं को दर्शाया गया है एवं भाग- दो में जल संसाधन विभाग कार्यालयों की लेखा-परीक्षा के दौरान उनकी कार्य प्रणाली से संबंधित परिलक्षित हुई विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं को दर्शाया गया है। जल संसाधन विभाग की कार्यप्रणाली में नियमों/प्रक्रियाओं आदि का अनुपालन करनें में, मासिक लेखा निर्धारित अवधि में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित कराने तथा अंक मिलान कार्य को नियमानुसार अंतराल में पूर्ण करते रहने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि यह समीक्षा प्रतिवेदन अनियमितताओं को दूर करने एवं मासिक लेखा/अन्य जानकारियाँ समय पर प्रस्तुत करने में सहायक होगा । हम इस समीक्षा की अभिवृद्धि के लिए सुझावों/संस्तुतियों का स्वागत करते हैं।

स्थान– रायपुर हस्ता/-

दिनांक-

(राजीव कुमार)
महालेखाकार (लेखा एवं हक़दारी)
छत्तीसगढ़, रायपुर

समीक्षा का संक्षिप्त विवरण

प्रस्तुत समीक्षा में छत्तीसगढ़ के 62 जल संसाधन संभाग सम्मिलित हैं, जो महालेखाकार (लेखा एवं हक़दारी) छत्तीसगढ़ को मासिक लेखा प्रेषित करते हैं । मासिक लेखाओं के संकलन के दौरान जो अशुद्धियां पाई गई हैं, उन्हें क्रमवार इस समीक्षा पुस्तक में विस्तार से दर्शाया गया है ।

समीक्षा में सम्मिलित कुछ अशुद्धियों/ आपत्तियों का सार निम्न है–

1. विविध लोक निर्माण अग्रिम मद में **31.03.1**9 की स्थिति में राशि ₹ **38.03** करोड़ समायोजन हेतु लंबित है, जिसकी संभागवार जानकारी **Annexure A** में दर्शाई गई है । इन अग्रिमों के समायोजन हेतु संभागों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। समायोजन हेतु त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है ।

2. सामग्री क्रय परिशोधन उचंत लेखे में **31.03.1**9 तक राशि ₹ 8.21 करोड़ लंबित है, जिसे सामग्री के सप्लायर्स को भुगतान किया जाना है । उक्त शीर्ष के अन्तर्गत लंबित राशि के भुगतान हेतु संभागों द्वारा ठोस कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है । (संभागवार सूची को Annexure B में दर्शाया गया है) ।

3. निर्माण लेखा प्रेषण शीर्ष में निबल राशि ₹ **103.21** करोड़ (जिसमें लोक निर्माण विभाग एवं लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी विभाग भी शामिल है) समायोजन हेतु लंबित है। यह राशि मुख्यतः संभागों/कोषालयों द्वारा चालानों/धनादेशों के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण असमायोजित रही है ।

कार्यालय महालेखाकार(लेखा एवं हक़दारी) छत्तीसगढ़, रायपुर

जल संसाधन विभाग की लेखा कार्यप्रणाली का समीक्षा प्रतिवेदन

वर्ष **2018-19**

प्रस्तावना

जल संसाधन विभाग का संरचनात्मक विवरण

जल संसाधन विभाग के समस्त प्रशासकीय एवं तकनीकी कार्य का संचालन विभागाध्यक्ष प्रमुख अभियंता छत्तीसगढ़ के कार्यालय से होता है । वर्ष 2018-19 में मुख्यालय स्तर पर प्रशासकीय एवं जल संसाधन विभाग कार्यपालन अभियंता द्वारा मासिक लेखा महालेखाकार कार्यालय को प्रस्तुत किया जाता है ।

सामान्य

लेखा का कम्प्यूटरीकरण :- कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक़दारी) छत्तीसगढ़, रायपुर को लोक निर्माण संभागों द्वारा संकलित प्रारूप (मेनुअल) में लेखा प्रस्तुत किया जाता है। प्रत्येक माह लोक निर्माण लेखा संभागों द्वारा प्रेषित संकलित लेखाओं को इस कार्यालय की कम्प्यूटर प्रणाली व्ही. एल. सी. में मेनुअल दर्ज़ किया जाता है । लोक निर्माण संभागों के लेखों को मेनुअल संधारण किए जाने के कारण अनावश्यक समय प्रयुक्त होता है, जबकि अन्य विभागों के लेखे इस कार्यालय में एन. आई. सी. द्वारा विकसित प्रक्रिया के अनुसार समस्त कोषालयों से फरवरी **2010** से डिजिटल डाटा के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। डिजिटल डाटा के द्वारा लेखों को अंतिम रूप देना एवं वित्तीय आंकड़े प्राप्त करना सुगम है।

अनुशंसा:- छत्तीसगढ़ शासन के अन्य विभागों की तरह जल संसाधन विभाग के लेखांकन कार्य को कम्प्यूटरीकृत किया जावे, जिससे लेखाओं को त्वरित उत्पादित किया जाना सुगम होगा ।

भाग – एक (लेखा)

महालेखाकार (लेखा एवं हक़दारी) कार्यालय द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के जल संसाधन विभाग के संभागों का लेखा एवं कार्यचालन से संबन्धित वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक समीक्षा की गई । इस समीक्षा में संभागों द्वारा भेजे गए मासिक लेखे की कमियों, विविध लोक निर्माण अग्रिमों का असमायोजित रहना, निर्धारित प्रपत्रों में वांछित जानकारी नहीं भेजा जाना,

नियमानुसार मासिक लेखा संवरण नहीं किया जाना एवं प्रत्येक माह की दस तारीख की निर्धारित तिथि तक मासिक लेखा प्रेषित नहीं किया जाना इत्यादि के संबंध में शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

(1) **प्राप्त आवंटन के अंतर्गत बचत** :- जल संसाधन विभाग को मुख्यतः मांग संख्या **23** के अंतर्गत बजट प्रावधान उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही, कुछ योजनाओं में मांग संख्या **40**, 45, एवं 75 के अंतर्गत बजट प्रावधान उपलब्ध कराये जाते हैं । वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक की अवधि में मांग संख्या **23** के अंतर्गत बजट प्रावधान का सम्पूर्ण उपयोग नहीं किया गया, फलतः बचत की प्रवृत्ति प्रत्येक वर्ष दृष्टिगोचर हो रही है**:-**

(राशि लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
2016-17	**66957.55**	**65852.57**	**1104.98**	**01.65**
2017-18	**132124.99**	**131941.62**	**183.57**	**0.14**
2018-19	**107730.45**	**82570.76**	**25159.69**	**30.47**

(2) **प्राप्त आवंटन से अधिक व्यय** :- विनियोग विधेयक के अनुसार बजट प्रावधान स्वीकृत होने के पश्चात प्रमुख अभियंता अपने अधीनस्थ मुख्य अभियंताओं को तथा मुख्य अभियंता अपने अधीनस्थ संभागों को बजट प्रावधान सूचित करता है, जिसके अनुसार संभागों द्वारा विभिन्न मदों में व्यय किया जाता है । इसके अतिरिक्त कतिपय योजनाओं में मूल बजट प्रावधान कम होने की स्थिति में पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन किया जाता है। विनियोग लेखा के अनुसार वर्ष 2018-19 में निम्नलिखित योजनाओं में व्यय स्वीकृत आवंटन से अधिक था, जिसकी पूर्ति अनुपूरक बजट अथवा पूर्ण रूप से पुनर्विनियोजन द्वारा नहीं की गयी। साथ ही इनमें कुछ योजनाएँ ऐसी भी हैं, जिसमें से बजट प्रावधान को अन्य योजनाओं में पुनर्विनियोजन द्वारा स्थानांतरित किया गया, जो कि आपत्तिजनक है एवं कमजोर बजट नियंत्रण को प्रदर्शित करता है।

(राशि लाख में)

वर्ष	**मांग सं.**	**मुख्य शीर्ष**	**योजना क्रं/नाम**	**निवल बजट(मूल बजट+अनुपूरक बजट(+/)पुनर्विनियोजन)**	**व्यय**	**आधिक्य**
2018-19	23	2700	02-101-2894(बैराज एवं नहर)	2454.19 (2468.42-14.23)	2583.64	129.45
			07-101-2894(बैराज एवं नहर)	200.71 (219.99-19.28)	304.80	104.09

(बजट में अधिक व्यय दोषपूर्ण बजट नियंत्रण प्रणाली को प्रदर्शित करता है, जिसमें सुधार आवश्यक है ।)

(3) **विविध लोक निर्माण अग्रिम मद में असमायोजित राशि ₹ 38.03 करोड़**:-

केन्द्रीय लोक निर्माण कार्य लेखा संहिता कंडिका **13.4.1** के अनुसार विविध लोक निर्माण अग्रिम के अंतर्गत ठेकेदारों को उधार बिक्री, जमा कार्य हेतु प्राप्त राशि से अधिक व्यय, नगद की हानि, शासकीय सेवकों से वसूली योग्य राशि एवं ऐसे व्यय, जो किसी मद में वर्गीकृत नहीं किये जा सकते, सम्मिलित होते हैं । इनकी वसूली संभाग द्वारा किया जाना है। वर्ष 2018-19 के **31.03.1**9 तक विविध लोक निर्माण अग्रिम मद में संभागों के अंतर्गत ₹ **38.03** करोड़ समायोजन हेतु लंबित है जिनमे विशेषकर E/M-L/M ट्यूबवेल संभाग बिलासपुर एवं रायपुर दोनों, E/M ट्यूबवेल दुर्ग, मुंगेली, रायगढ़, जशपुरनगर, W/M संभाग रायपुर, बेमेतरा, कांकेर, दंतेवाड़ा, बैकुंठपुर, कोटा बिलासपुर, E/M

HEM रुद्री, माचाडोली कोरबा, जांजगीर-चाँपा, डिसनेट तिल्दा, प्रोजेक्ट संभाग बालोद, कंस्ट्रकशन संभाग कसडोल, कवर्धा, रायगढ़, सक्ति, खरसिया, धरमजयगढ़ रायगढ़, मरवाही बिलासपुर, बैराज संभाग, डोंगरगाँव संभाग के वर्ष **2017-1**8 की लंबित राशियाँ वर्ष **201**8-**1**9 में भी अपरिवर्तित/यथावत है।

राशियों की वसूली वर्ष **201**8-**1**9 में नहीं की गई है, जिससे स्पष्ट होता है कि संभाग द्वारा वसूली की कार्यवाही पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे शासन को राजस्व की हानि हो रही है। (संभागों की सूची Annexure-A में दर्शायी गयी है)। अतः संभागों को उक्त अग्रिमों के समायोजन की कार्यवाही हेतु समुचित निर्देश जारी कर समायोजन की कार्यवाही सुनिश्चित किया जावे ।

(4) **<u>सामग्री क्रय परिशोधन उचंत लेखा</u>:-**

सामग्री क्रय उचंत लेखे हेतु शासकीय लेखे में पृथक लेखा शीर्ष **8658-129** का प्रावधान किया गया है। इस लेखा शीर्ष में संभागों द्वारा क्रय अथवा अंतर-संभागीय अंतरण द्वारा प्राप्त की गयी सामग्री, जिसका भुगतान क्रय किए गए माह में नहीं किया गया है, से संबंधित संव्यवहारों को दर्ज़ किया जाता है। इस बाबत संभागों के लेखों के साथ प्रपत्र**-69** संलग्न किया जाना चाहिए, जिसमें संभागों में लंबित भुगतान की जानकारी को दर्शाया जाना चाहिए ।

प्रायः कई वर्षों से सामाग्री क्रय परिशोधन उचंत लेखा में संभागों द्वारा कोई प्रविष्टि नहीं की जाती रही है, लेकिन इस वर्ष तीन संभाग "EE WRD Kanker, EE TDPP Jagdalpur एवं EE HEM Rudri द्वारा वर्ष 2018-19 में राशि दर्ज की गयी है। संभागों द्वारा इनका समाशोधन लंबित राशियों का भुगतान कर किया जाना है एवं नियमानुसार ऐसी राशियाँ जिन पर तीन पूर्ण वर्षों से अधिक समय तक दावा न किया गया हो, उन राशियों को राजस्व में क्रेडिट कर समाशोधित करना है । वर्ष 2018-19 के दौरान संभागों द्वारा उपरोक्तानुसार समाशोधन के संबंध में कोई कार्यवाही नही की गयी है, जो संतोषप्रद नहीं है ।

वर्ष 2018-19 के **31.03.1**9 तक संभागों द्वारा प्रेषित जानकारी के अनुसार ₹ **8.21** करोड़ इस लेखा शीर्ष के अंतर्गत लंबित है, जिसकी संभागवार जानकारी Annexure-B में दर्शायी गयी है । कृपया इस मद में लंबित राशि के समायोजन हेतु समस्त संभागों को उचित निर्देश जारी किया जावे ।

(5) **<u>प्राप्ति एवं व्यय आंकड़ों के पुनर्मिलान</u>:-**

लोक निर्माण संभागों के बजट नियंत्रण अधिकारी प्रमुख अभियंता हैं । लेखांकन प्रक्रिया में पुनर्मिलान एक महत्वपूर्ण कार्य है । प्राप्ति एवं व्यय के आंकड़ों के पुनर्मिलान हेतु इस कार्यालय द्वारा प्रत्येक माह दर्ज की जा रही आय एवं व्यय के आंकड़ों की सी. डी. प्रमुख अभियंता को प्रेषित किया जाता है । पुनर्मिलान उपरांत प्रमुख अभियंता से मिलान प्रमाण पत्र मय राशि महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाना चाहिए, किन्तु बार-बार स्मरण पत्र प्रेषित करने के बाद भी प्रमुख अभियंता द्वारा मिलान प्रमाण-पत्र (राशि-सहित) वर्ष 2018-19 के दौरान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छत्तीसगढ़ को प्रेषित नहीं किया गया। पुनर्मिलान न होने की स्थिति में गलत वर्गीकरण, बिना बजट के व्यय आदि का पता नहीं चलता, अतः प्रमुख अभियंता को प्राप्ति एवं व्यय आंकड़ों के पुनर्मिलान जैसे महत्वपूर्ण कार्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए एवं मिलान प्रमाण-पत्र (व्यय राशि जिसका मिलान किया गया) सहित महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छत्तीसगढ़ को नियमित रूप से प्रेषित करना चाहिए।

(**6**) **<u>मासिक लेखा विलंब से प्राप्त होना</u>:-**

केन्द्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता की पैरा **22.4.15** के अनुसार संभागों से मासिक लेखा इस कार्यालय में प्रतिमाह **10** तारीख तक प्राप्त हो जाना चाहिए । संभागों से लेखा विलंब से प्राप्त होने के कारण राज्य शासन के लेखा संकलन में विलंब होता है । इस संदर्भ में उल्लेख है कि कुछ संभाग, उदाहरणार्थ कांकेर, रायपुर, कोंडागांव, अम्बिकापुर, जशपुर, बैकुंठपुर इत्यादि, द्वारा पाँच या उससे अधिक माहों में मासिक लेखा **01** से **17** दिनों तक विलंब से प्राप्त हुये, जिसकी जानकारी को Annexure-C में दर्शाया गया है । अतः लेखा नियत तिथि तक भेजने हेतु समस्त कार्यपालन अभियंताओं को निर्देशित करें ।

(7) **<u>मासिक लेखों में पाई गई कमियाँ/ त्रुटियाँ</u>:-**

प्रतिमाह मासिक लेखे प्रेषित करते समय केन्द्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता के पैरा **22.4.15** में दिये गये अनुसार विभिन्न फार्म लेखे के साथ संलग्न किया जाना चाहिए । संभाग द्वारा प्रेषित मासिक लेखों में निम्नलिखित कमियाँ बार-बार पाई जाती हैं, किन्तु इनके निराकरण हेतु संभाग द्वारा कोई रुचि नहीं ली जाती है**:-**

(i) कतिपय लेखों में पन्नों पर पृष्ठ क्रमांक अंकित नहीं रहता है ।

(ii) फार्म **83** में संलग्न किए गए विभिन्न प्रपत्रों की जानकारी रहती है, किन्तु इन प्रपत्रों का पृष्ठ क्रमांक के साथ cross referencing नहीं किया जाता है, जिसके कारण लेखाओं की प्रारंभिक जांच करने में असुविधा एवं विलंब होता है।

(iii) लेखों के वर्गीकरण में त्रुटियाँ रहती हैं । मुख्यतः त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण प्रेषण शीर्ष के चालानों में किया जाता है । इन चालानों में संभागों द्वारा **8782-102** अंकित नहीं रहता है तथा डी. डी. ओ. कोड नहीं दर्शाया जाता है ।

(iv) फार्म **80** में कैश बैलेंस के पूर्व शेष/अंतशेष की जानकारी दर्शाई जाती है । कतिपय लेखों में पूर्व माह के अंतशेष एवं आगामी माह के प्रारंभिक शेष में अंतर रहता है, जिसके कारण लेखाओं के संकलन में विलंब होता है ।

(v) कतिपय लेखों के फार्म **80** में प्राप्ति एवं व्यय के आंकड़ों में अंतर रहता है ।

(vi) फार्म **74**, जिसमें मुख्य शीर्ष/योजना शीर्षवार संकलन व्यय दर्शाया जाता है, के आंकड़ें फार्म **64** से मिलने चाहिए । कतिपय लेखा में इन दोनों प्रपत्रों के आकड़ों में अंतर रहता है ।

(vii) कतिपय लेखों के साथ प्राप्तियों का विवरण (Form-**46-**A) संलग्न नहीं किया जाता है ।

(viii) Form-80 में दर्शाया गया प्रेषण शीर्ष की राशियों के तिथिवार विवरण (प्रपत्र**-77**) संलग्न नही किया जाता है, जिसके कारण कोषालय से प्राप्त प्रेषण शीर्ष को सहायक पंजी से मिलान करने में असुविधा होती है ।

(ix) देयकों से काटी गयी कर की राशि विभिन्न संभागों द्वारा विविध जमा में बताई जाती है, जिससे यह पता नहीं चलता कि यह राशि किससे संबंधित है, अतः प्रपत्र **79** में कर की राशि को अलग-अलग जमा (Cr) एवं नामे (Dr) में दर्शाया जाना चाहिए ।

(x) प्रतिमाह कोषालयों से संभाग द्वारा Consolidated Treasury Receipt एवं Cheque Issue Certificate प्राप्त नहीं किया जाता। फलतः संभागों द्वारा कोषालय को किए गए प्रेषण का नियमित पुनर्मिलान संभाग द्वारा नहीं किए जाने के कारण प्रेषण की कई पुरानी राशियाँ असमायोजित पड़ीं हुई हैं एवं संभाग द्वारा नियमित रूप से फार्म**-51** का प्रेषण नहीं किया जाता है ।

(xi) Petty Payment के संबंध में वाउचर संलग्न नहीं किया जाता है, जबकि इसके अंतर्गत लेखे में कई बार काफी बड़ी राशि दर्ज़ की जाती है ।

(xii) लेखों में संभाग का पता, दूरभाष तथा फ़ैक्स क्रमांक नहीं दर्शाया जाता है।

उपरोक्त कमियों की पुनरावृति न हो इस हेतु समस्त संभागों को निर्देशित करें ।

(8) **फार्म-51- कोषालय के साथ मासिक समाशोधन लेखा:-**

संभाग द्वारा कोषालय को प्रेषित किए जा रहे चालान एवं जारी किए गए चेकों के निराकरण के संबंध में पुनर्मिलान, संभाग को कोषालय से CTR (Consolidated Treasury Receipt) एवं CIC (Cheque Issue Certificate) प्राप्त कर करना होता है एवं उसके आधार पर फ़ॉर्म-**51** तैयार कर केन्द्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता की पैरा **22.4.15** के अनुसार संभागों द्वारा प्रत्येक माह मासिक लेखे के साथ फार्म-**51** संलग्न कर भेजना चाहिए । लेखे के साथ फार्म-**51** संलग्न नहीं होने के कारण कितनी संख्या में धनादेश/चालान बैंक में प्रस्तुत किए गए, किन्तु कोषालय द्वारा **8782-102** के अंतर्गत वर्गीकृत नही किया गया, की जानकारी उपलब्ध नहीं होती है तथा प्रेषण शीर्ष के अंतर्गत संभागों द्वारा संकलित राशि के लंबित होने की संभावना रहती है । वर्ष 2018-19 में जिन संभागों द्वारा मासिक लेखा के साथ फार्म-**51** संलग्न नहीं किए गए, इन संभागों की जानकारी को Annexure-D में दर्शाया गया है।

संभाग द्वारा प्रेषित किए जा रहे फार्म-**51** में चालान एवं चेक की राशियाँ असमायोजित पड़ी हुई हैं, जिनमें से अधिकांश संभागों में राशियाँ पुराने समय से चली आ रही हैं, जिनके निराकरण हेतु संभाग द्वारा विशेष रुचि नहीं ली जाती है, जबकि निराकरण संभाग द्वारा ही किया जाना है । इसकी जानकारी क्रमश: **Annexure-E-I** एवं **E-II** में दी गयी है । जिन संभागों से फ़ॉर्म-**51** प्राप्त हुआ है, उनके अनुसार वर्ष 2018-19 के दौरान समाशोधित न हुयी राशियों का संक्षिप्त विवरण इसप्रकार हैं **:-**

चालान के संबंध में	
असमायोजन के कारण	राशि
संभागों द्वारा चालान के माध्यम से प्रेषण की गयी राशि किन्तु राशि का संबंधित संभागों के अंतर्गत कोषालय में जमा नहीं होना।	₹ **4,25,01,491** /-
कोषालयों द्वारा राशि का संभागों के विरुद्ध जमा बताना जबकि संभागों द्वारा इस राशि का प्रेषण न बताया जाना	₹ **34,68,444** /-

चेक के संबंध में	
असमायोजन के कारण	
संभागों द्वारा जारी धनादेश किन्तु कोषालयों के अनुसार उनका भुगतान न होना।	₹ **92,98,604** /-
कोषालयों द्वारा धनादेश का भुगतान होना जबकि संभागों के अनुसार उनके द्वारा इनका जारी नहीं किया जाना।	निरंक

वर्ष के अंत में समान्यतः कोई अंतर न हो, इसके लिए कार्यपालन अभियंताओं को मासिक लेखे में प्रेषण शीर्षों में संकलित राशि का मिलान कोषालय के अभिलेखों से किया जाकर प्रतिमाह प्रपत्र **51** मासिक लेखों के साथ संलग्न किए जाने तथा **Annexure-E-I** एवं **E-II** में दर्शायी गयी राशियों के समायोजन हेतु दिशा-निर्देश जारी किया जावे ।

(9) **<u>निर्माण लेखा प्रेषण शीर्ष में असमायोजित राशि ₹ 103.21 करोड़</u>:-**

केन्द्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता के पैरा **22.3.1** के अनुसार संभागों द्वारा मासिक लेखों में लेखा शीर्ष **8782-102** में नामे तथा जमा की गई राशियों के मिलान कोषालय/बैंक से किया जाना चाहिए । परंतु संभाग द्वारा मिलान-कार्य नहीं किए जाने के कारण वर्ष 2018-19 के **31.03.1**9 तक इस शीर्ष में समायोजन हेतु निबल राशि ₹ **103.21** करोड़ (जिसमें लोक निर्माण विभाग एवं लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी विभाग भी शामिल हैं) लंबित है ।

लंबित राशियों के निराकरण हेतु इस कार्यालय द्वारा संभागों से निरंतर पत्राचार किया गया, परंतु संभागों द्वारा इनके समाधान हेतु कोई भी प्रामाणिक कदम/कार्यवाही नहीं की गई । समीक्षा में पाया गया कि संभागों द्वारा चालानों पर सही प्रेषण शीर्ष **8782-102** अंकित न करने से तथा चालानों पर डी. डी. ओ. कोड अंकित न होने से, कोषालयों द्वारा त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण से अंतर की राशि में निरंतर वृद्धि हो रही है । इस कार्यालय द्वारा पूर्व में भी संभागों को चालानों की जांच कर त्रुटिपूर्ण शीर्ष अंकित पाये जाने पर संबंधित कोषालयों के माध्यम से सुधार मांग पत्र इस कार्यालय को प्रेषित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु इस दिशा में संबंधितों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिसे शासन के ध्यान में लाया जाता है।

(10) **<u>निर्माण कार्य व्यय प्रपत्र</u>**<u>-64</u>**:-**

केन्द्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता के पैरा **22.4.6** के अनुसार संभागों द्वारा निर्माण कार्य पर किए गए व्यय की जानकारी को प्रपत्र**-64** में सम्मिलित कर मासिक लेखों के साथ भेजा जाना चाहिए । प्रायः देखा गया है कि अधिकांश संभाग इसे यथा रूप से प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं एवं संभागों द्वारा कई स्तंभों में जानकारी रिक्त छोड़ दी जाती हैं एवं प्रगामी व्यय में गत माह की प्रगामी व्यय की तुलना में विसंगति होती है। प्रपत्र में अपूर्ण प्रविष्टि के कारण कार्य विशेष आवंटन के विरुद्ध कितना व्यय किया गया एवं इसके वास्तविक आंकड़ें तथा कौन सा कार्य अपूर्ण है (Remarks Column No.10), दृष्टिगत नहीं होते । प्रपत्र**-64** में वांछित जानकारी की यथास्थिति नहीं होने के कारण प्रत्येक निर्माण कार्य / परियोजना पर कितना व्यय अधिक/कम हुआ, की समीक्षा नहीं हो पाती ।

निर्धारित प्रपत्र**-64** के समर्थन में कार्यों की अनुमानित लागत (Estimated Cost of Work), कार्य प्रारंभ करने का दिनांक (Year/Date of Commencement), कार्य समाप्ति का दिनांक (Year/Date of Completion), कार्य की भौतिक प्रगति (Physical Progress of Work), पुनरीक्षित लागत एवं पुनरीक्षण का दिनांक (Revised Cost and Date of Revision), मद क्रमांक (Budget Item No.), भुगतान हेतु बकाया राशि (Pending Payment) का कॉलम खोल कर प्रविष्टि करने हेतु सभी कार्यपालन अभियंताओं को निर्देश जारी करें, ताकि राज्य वित्त लेखे में अपूर्ण कार्यों की जानकारी को सम्मिलित किया सके।

भाग-दो (लेखापरीक्षा)

वर्ष 2018-19 में महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा संभागों की लेखा-परीक्षा एवं स्थानीय स्तर पर देयकों के निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का विवरण Annexure-F (Statement-I से Statement-III तक) में दर्शाया गया है।

हस्ता/-

वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा)

Annexure-A

Outstanding Balance of Miscellaneous Public Work Advances as on 31.03.2019

Form 70

(Refer to Para-3)

(In Rs.)

Sl. no.	Div.	Name of Division	Balance of 2017-18	Balance of 2018-19
1.	059	E.E. E/M L/M Tubewell Gate Bilaspur	64558	63885

2.	067	E.E. Kharang W.R. Dn. Bilaspur	2519915	2771525
3.	068	E.E. W.R. Dn. Pendra Road Bilaspur	905546	905546
4.	069	E.E. W.R. Dn. Mungeli	294922	294922
5.	070	E.E. W.R. Dn. Raigarh	8274616	8268433
6.	072	E.E.W.R. Dn. JashpurNagar	36221817	36221817
7.	073	E.E. W.R. W/M Dn- 01 Raipur	36161541	36161541
8.	074	E.E. W/M Dn. No.2 Baloda Bazar	5757112	5607655
9.	077	E.E. W.R. Dn. Mahasamund	22415963	21035277
10.	079	E.E. W.R. Dn. W/M Raipur	51806225	51806225
11.	080	E.E. W.R. Dn. Gariyaband	2350341	2350282
12.	081	E.E. Tandula W.R. Dn. Durg	1955387	1955387
13.	083	E.E W.R. Dn. Bemetara	2672152	2668131
14.	084	E.E W.R. Dn. Rajnandgaon	8450547	7719895
15.	085	E.E. W.R. Dn. Chhuikhadan	5371507	5359666
16.	088	E. E. W.R. Dn. Kanker	6674603	6561056
17.	090	E.E. W.R. Dn. Dantewada	5610114	3814489
18.	091	E.E. T.D.P.P. W.R. Dn. Jagdalpur	4328295	4328295
19.	096	E.E. E/M L/M Tubewell Gate Raipur	3642922	3642922

Sl. no.	**Div.**	**Name of Division**	**Balance of 2017-18**	**Balance of 2018-19**
20.	108	E.E. W.R. Dn.-01 Ambikapur	-	1751007
21.	112	E.E. W.R. Dn. Baikunthpur	5256631	5256631
22.	153	E.E. Hasdeo RBC Rampur Korba	19809658	19809658
23.	154	E.E. W.R. Dn. Kondagaon	10358	10358

24.	156	E.E. Hasdeo Canal W/M Dn. Janjgir	18805674	18075618
25.	157	E.E. W.R. Kota Dn. Kota Bilaspur	20119	20119
26.	158	E.E. W/M Dn. Rudri	40523526	40523526
27.	159	E.E. MRP. Dam Dn. Rudri	3749089	3749089
28.	161	E.E. E/M HEM Dn. Rudri	1663087	1663087
29.	162	E.E. MRP Ph-II Works Dn. Raipur	37120	24050
30.	164	E.E. W.R.Dn. Dhamtari	80521	80521
31.	167	E.E.Minimata Machadoli Korba	3774590	3771573
32.	170	E.E. W.R. Dn Janjgir Champa	143357	143357
33.	191	E.E. Sr. Geohydrologist Raipur	-	60329
34.	197	E.E. Disnet Dn. No. Tilda	6400070	6395594
35.	206	E.E. Mohadipat Proj. Dn. Balod	2531916	2531916
36.	218	E.E. E/M HEM Dn. Bilaspur	88254	88524
37.	262	E.E. W.R. Dn. Korba	1562329	1555929
38.	270	E.E W.R. Const.Dn. Kasdol	9002620	8909675
39.	272	E.E. W.R. Dn. Kawardha	2397263	2391235
40.	283	E.E. E/M W.R. Dn. Raigarh	280596	280596
41.	289	Dy. Director Hyd. Dn.-04 Raipur	-	36117
42.	296	E.E. Minimata Bango Dn-06 Sakti	13214609	13210407
43.	297	E.E. Minimata Bango Dn-05 Kharsia	47649642	47649642
44.	313	E.E. Dharamjaigarh, Raigarh	106173	105046
Sl. no.	**Div.**	**Name of Division**	**Balance of 2017-18**	**Balance of 2018-19**
45.	333	E.E. E/M Tubewell Gate Durg	49659	9073
46.	335	E.E. W.R. Dn. Marwahi Bilaspur	261919	261919
47.	346	E.E. W.R. Barrage Dn. Dongargaon	376140	376140

		Total	**32,52,90,743**	**38,02,77,685**

Annexure – B

Outstanding Balance of Material Purchase Settlement Suspense Account As on 31.03.2019

Form-69

(Refer to para no- 4)

(In Rs.)

Sl.No.	Div. Cod	Name of Division	Balances of 2017-18	Balances of 2018-19

	e			
1.	068	E.E. W.R. Dn. Pendra Rd Bilaspur	687474	687474
2.	070	E.E. W. R. Dn. Raigarh	4143562	4143562
3.	072	E.E.W. R. Dn. JashpurNagar	2892362	2892362
4.	074	E.E. W/M Dn. No.2 Baloda Bazar	7805797	7805797
5.	077	E.E. W.R. Dn. Mahasamund	8612828	8612828
6.	079	E.E. W.R. Dn. Raipur	2600963	0
7.	080	E.E. W.R. Dn. Gariyaband	136720	136720
8.	083	E.E W.R. Dn. Bemetara	3012409	3012409
9.	084	E.E. W.R. Dn. Rajnandgaon	4254308	4254308
10.	085	E.E. W.R. Dn. Chhuikhadan	12107	12107
11.	088	E.E.W. R. Dn. Kanker	-	2610486
12.	091	E.E.W. R. Dn. TDPP Jagdalpur	-	1945687
13.	096	E.E. E/M Tube Gate Dn. Raipur	2550640	2550640
14.	108	E.E. W.R. Dn. No.1 Ambikapur	7529576	561329
15.	112	E.E. W.R. Dn. Baikunthpur	6502308	6502308
16.	158	E.E. W/M Dn. Rudri	3185579	3185579
17.	159	E.E. MRP. Dam Dn. Rudri	10625614	10625614
18.	161	E.E.W. R. Dn. E/M HEM Rudri	-	5087630
19.	164	E.E. W.R. Dn. Dhamtari	499890	499890
20.	197	E.E. W.R. Dn. MRP Tilda	259525	259525
21.	218	E.E. E/M HEM Dn. Bilaspur	13703315	13703315
22.	270	E.E. W.R. Dn.Kasdol	271106	271106
Sl.No.	**Div. Code**	**Name of Division**	**Balances of 2017-18**	**Balances of 2018-19**
23.	283	E.E. E/M W.R. Dn. Raigarh	5448216	0

24.	296	E.E.Minimata Bango Dn.6 Sakti	2775516	2775516
		Total	**8,75,09,815**	**8,21,36,192**

Annexure-C

LIST OF LATE SUBMITTED MONTHLY ACCOUNTS DURING THE YEAR 2018-19

(Refer to para 7)

Sl. No.	**Div. Code**	**Name of the Division**	**Month**	**Delay in Days**
1	067	E.E. Kharang WR Dn. Bilaspur	10/18	02
			12/18	01
2	070	E.E. WR Dn. Raigarh	10/18	02
3	072	E.E. WR Dn. Jashpur Nagar	05/18	08
			06/18	06
			07/18	04
			08/18	09
			09/18	02
			10/18	18
			11/18	02
			12/18	07
			01/19	01
			02/19	17
			03/19	05
4	074	E.E. WM Dn. No- 02 Baloda Bazar	10/18	03
			02/19	01
5	077	E.E. WR Dn Mahasamund	10/18	03
			02/19	01

Sl. No.	**Div. Code**	**Name of the Division**	**Month**	**Delay in Days**
6	079	E.E. WR Dn. Raipur	05/18	01

			06/18	01
			08/18	01
			10/18	01
			11/18	01
			01/19	01
			02/19	01
7	081	E.E. WR Dn Tandula Durg	10/18	02
8	083	E.E. WR Dn Bemetera	11/18	03
9	084	E.E. WR Dn. Rajnandgaon	10/18	04
			02/19	01
10	088	E.E. WR Dn. Kanker	09/18	01
			10/18	06
			11/18	02
			12/18	01
			02/19	01
11	090	E.E. WR Dn. Dantewada	10/18	02
			11/18	01
			12/18	01
12	091	E.E. T.D.P.P. WR Dn. Jagdalpur	05/18	01
			10/18	08
			11/18	01
			03/19	02

Sl. No.	**Div. Code**	**Name of the Division**	**Month**	**Delay in Days**

13	108	E.E. WR Dn.-01 Ambikapur	04/18	01
			05/18	04
			07/18	06
			08/18	04
			09/18	02
			11/18	01
			12/18	04
			01/19	05
			02/19	08
			03/19	03
14	109	E.E. WR Dn. Ramanujganj	09/18	01
			01/19	01
			02/19	05
			03/19	16
15	111	E.E. WR Dn. Balrampur	02/19	01
16	112	E.E. WR Dn. Baikunthpur Koria	05/18	01
			09/18	01
			10/18p	03
			01/19	02
17	114	E.E. WR Dn. Surajpur	04/18	06
			05/18	08
			06/18	08
			10/18	02

Sl. No.	**Div. Code**	**Name of the Division**	**Month**	**Delay in Days**

18	153	E.E. Hasdeo RBC W/M Rampur Korba	05/18	05
			09/18	01
			10/18	04
			02/19	02
19	154	E.E. WR Dn. Kondagaon	09/18	01
			10/18	04
			11/18	01
			01/19	03
			02/19	02
20	156	E.E. Hasdeo Canal W/M Dn. Janjgir	10/18	02
			01/19	01
21	157	E.E. WR Dn. Kota Bilaspur	01/19	02
22	158	E.E. W/M Dn-02 Rudri	08/18	02
			10/18	02
23	159	E.E. WR MRP Dn.02 Rudri	08/18	01
24	161	E.E. E/M HEM Dn. Rudri	08/18	01
			10/18	02
25	164	E.E. WR Dn. Dhamtari	06/18	07
			08/18	02
			10/18	06
			03/19	06

Sl.No.	Div.	Name of the Division	Month	Delay in Days

26	166	E.E. WR Dn. Barrage -02 Champa	06/18	02
			10/18	03
			12/18	01
			02/19	02
27	167	E.E. Minimata -03 Machadoli Korba	05/18	07
			06/18	11
			10/18	06
			01/19	01
28	170	E.E. WR Dn. Janjgir Champa	05/18	01
			02/19	02
29	197	E.E. WR Dn. Tilda Raipur	03/19	02
30	289	Dy. Director Hydro. Dn.-04 Raipur	10/18	03
			01/19	01
31	296	E.E. WR Dn. MBC Dn-06 Sakti	12/18	01
32	313	E.E. WR Dn Dharamjaigarh	11/18	01
			12/18	05
33	333	E.E. WR E/M Tubewell Gate Durg	05/18	01
			02/19	01
			03/19	02
34	346	E.E. WR Barrage Dn. Dongargarh	05/18	01

Sl.No.	**Div.**	**Name of the Division**	**Month**	**Delay in Days**
35	351	E.E. WR Dn. Thermal Proj. Ambikapur	05/18	02

			10/18	02
36	353	E.E. WR Dn.-01 Kharsiya Raigarh	02/19	02
37	354	E.E. WR Dn. Sukma	04/18	01
			09/18	01
			10/18	02

Annexure-D

LIST OF DIVISIONS FROM WHERE “FORM 51” IS AWAITED

As on 31.03.2019

(Refer to para 9)

Sl.No.	Div. Code	Name of Division	Months	Pending Months
1.	**073**	E.E.WR Dn.WM Raipur No-01	04/18 to 03/19	12
2.	**074**	E.E. WR Dn.-02 W/M Baloda Bazar	03/19	01
3.	**077**	E.E. WR Dn. Mahasamund	03/19	01
4.	**079**	E.E. WR Dn. Raipur	04/18 to 03/19	12
5.	**080**	E.E. WR Dn. Gariyaband	01/19 to 03/19	03
6.	**090**	E.E. WR Dn. Dantewada	04/18 to 03/19	12
7.	**091**	E.E. TDPP WR Dn. Jagdalpur	04/18 to 03/19	12
8.	**108**	E.E. WR Dn-01 Ambikapur	04/18 to 03/19	12
9.	**109**	E.E. WR Dn. Ramanujganj	04/18 to 03/19	12
10.	**111**	E.E. WR Dn. Balrampur	01/19 to 03/19	03
11.	**153**	E.E. Hasdeo RBC W/M Rampur Korba	04/18 to 03/19	12
12.	**154**	E.E. WR Dn. Kondagaon	04/18 to 03/19	12
13.	**157**	E.E. WR Dn. Kota Bilaspur	03/19	01
14.	**158**	E.E. WR Dn. W/M Rudri	10/18 to 03/19	06
15.	**159**	E.E. WR Dn. MRP Dam Rudri	03/19	01
16.	**161**	E.E. E/M HEM WR Dn. Rudri	07/18 to 03/19	09
17.	**162**	E.E. MRP PH-II Works Dn. Raipur	04/18 to 03/19	12
18.	**167**	E.E. WR MMB Machadoli Korba	04/18 to 03/19	12
19.	**197**	E.E. WR Dn. Disnet Dn. Tilda	04/18 to 03/19	12
20.	**206**	E.E. WR Dn. Balod	04/18 to 03/19	12
21.	**218**	E.E. E/M HEM Dn. Bilaspur	04/18 to 03/19	12
22.	**262**	E.E. WR Dn. Korba	03/19	01
23.	**270**	E.E. WR Const Dn.Kasdol	03/19	01
24.	**296**	E.E. WR Dn. Minimata Bango Sakti	04/18 to 03/19	12
25.	**297**	E.E. WR Dn.-05 Kharsia	04/18 to 03/19	12
26.	**313**	E.E. WR Dn. Dharamjaigarh	02/19 to 03/19	02
27.	**333**	E.E.E/ML/M Tubewell Gate Durg	04/18 to 03/19	12
28.	**350**	E.E. W.R. Dn. Bijapur	04/18 to 03/19	12
29.	**351**	E.E. WR Dn. Proj. Thermal Ambikapur	05/18 to 03/19	11
30.	**353**	E.E. WR Dn.-01 Kharsiya Raigarh	04/18 to 03/19	12

Annexure-E I

DIVISION WISE LIST OF NET UNADJUSTED AMOUNT OF FORM-51
AS ON 31.03.19

(Refer to para-9)

Sr. No.	DIVISION NAME	Div. No.	Amount remitted by Division but not acknowledged by Treasury	Amount Acknowledged by Treasury but not remitted by Division	Amount remitted by Division but not acknowledged by Treasury	Amount Acknowledged by Treasury but not remitted by Division
			2017-18		2018-19	
1.	E.E. E/M Gate Bilaspur	059	-	-	0	0
2.	E.E. Kharang Bilaspur	067	0	0	1174921	118665
3.	E.E. Pendra Rd. Bilaspur	068	0	0	0	0
4.	E.E. Mungeli	069	-	-	0	0
5.	E.E. Raigarh	070	-	-	37476589	3297864
6.	E.E.W/M Dn-2 Baloda Bazar	074	134123	0	-	-
7.	E.E. Tandula	081	-	-	513000	0
8.	E.E. Bemetara	083	0	0	0	0
9.	E.E.Rajnndgaon	084	0	0	0	0
10.	E.E.Chuuikhadan Rajnandgaon	085	0	0	2942997	32390
11.	E.E. Kanker	088	77235	0	133764	3600
12.	E.E. Gate Raipur	096	-	-	30040	0
13.	E.E. Dn.-01 Ambikapur	108	22591	10028000	-	-
14.	E.E. Balrampur	111	0	0	-	-
15.	E.E. Korea	112	0	0	0	0
16.	E.E. Kondagaon	154	0	0	-	-
17.	E.E. WM Janjgir	156	-	-	49210	15757
18.	E.E. Kota Bilaspur	157	55239	0	-	-
19.	E.E. W/M Dn. Rudri	158	0	0	-	-
20.	E.E. MRP Dam Dn. Rudri	159	0	0	-	-
21.	E.E. Dhamtari	164	-	-	0	0
22.	E.E. Champa	170	-	-	116850	168
23.	EE Hydro Raipur	191	-	-	6900	0

Sr. No.	DIVISION NAME	Div. No.	Amount remitted by Division but not acknowledged by Treasury	Amount Acknowledged by Treasury but not remitted by Division	Amount remitted by Division but not acknowledged by Treasury	Amount Acknowledged by Treasury but not remitted by Division
			2017-18		2018-19	
24.	E.E. E/M HEM Raipur	217	250	27543	2500	0
25.	E.E. Soil Testing Lab Raipur	257	0	0	0	0
26.	E.E. Korba	262	1518	0		
27.	E.E. Kawardha	272	-	-	54720	0
28.	E.E. E/M Raigarh	283	-	-	0	0
29.	E.E. Minimata Bango Sakti	296	399026	0	-	-
30.	E.E. No-05 Kharsia	297	33844	763647	-	-
31	E.E.Dhramjaigar Raigarh	313	0	0	-	-
32	E.E. Marwahi Bilaspur	335	-	-	0	0
33	E.E.Dongargaon	346	-	-	0	0
34	E.E. Kelo Raigarh	347	-	-	0	0
35	E.E. CADA Raipur	348	-	-	0	0
36	E.E. Narayanpur	349	-	-	0	0
37	E.E.Thermal Proj Ambikapur	351	819198	0	-	-
38	E.E. Dn-01 Kharsiya	353	-	-	0	0
39	E.E. Sukma	354	-	-	0	0
TOTAL			**1132744620**	**502207088**	**42501491**	**3468444**

Annexure-E II

DIVISION WISE LIST OF NET UNADJUSTED AMOUNT OF FORM-51 AS ON 31.03.19

(Refer to para-9)

s)

Sr. No.	DIVISION NAME	Div. No.	Cheque issued by Division but not cleared at Treasury	Amount paid by Treasury but cheque not issued by Division	Cheque issued by Division but not cleared at Treasury	Amount paid by Treasury but cheque not issued by Division
			2017-18		2018-19	
1.	E.E. E/M Gate Bilaspur	059	-	-	13125	0
2.	E.E. Kharang Bilaspur	067	62902	0	544220	0
3.	E.E. Pendra Rd. Bilaspur	068	90397	0	279086	3113214
4.	E.E. Mungeli	069	-	-	24591	0
5.	E.E. Raigarh	070	-	-	16684	0
6.	E.E.W/M Dn-2 Baloda Bazar	074	4330	0	-	-
7.	E.E. Tandula	081	-	-	6149	0
8.	E.E. Bemetara	083	11400	0	0	0
9.	E.E.Rajnandgaon	084	281180	0	57630	0
10.	E.E.Chuuikhadan Rajnandgaon	085	0	0	10753	0
11.	E.E. Kanker	088	53005	0	34927	0
12.	E.E. Gate Raipur	096	-	-	2822889	133477
13.	E.E. Dn.-01 Ambikapur	108	331843	0	-	-
14.	E.E. Balrampur	111	0	0	-	-
15.	E.E. Korea	112	23007	0	12800	0
16.	E.E. Kondagaon	154	0	0		
17.	E.E. WM Janjgir	156	-	-	547861	8653
18.	E.E. Kota Bilaspur	157	828195	0	-	-
19.	E.E. W/M Dn. Rudri	158	0	0	-	-
20.	E.E. MRP Dam Dn. Rudri	159	0	0	-	-
21.	E.E. Dhamtari	164	-	-	94069	0
22.	E.E. Champa	170	-	-	79994	68995
23.	E E Hydro Raipur	191	-	-	35893	0

Sr. No.	DIVISION NAME	Div. No.	Cheque issued by Division but not cleared at Treasury	Amount paid by Treasury but cheque not issued by Division	Cheque issued by Division but not cleared at Treasury	Amount paid by Treasury but cheque not issued by Division
			2017-18		**2018-19**	
24.	E.E. E/M HEM Raipur	217	9000	0	11729	0
25.	E.E. Soil Testing Lab Raipur	257	0	0	0	0
26.	E.E. Korba	262	1000000	0	-	-
27.	E.E. Kawardha	272	-	-	4158	0
28.	E.E. E/M Raigarh	283	-	-	0	0
29.	E.E. Minimata Bango Sakti	296	4162224	0	-	-
30.	E.E. No-05 Kharsia	297	1187190	0	-	-
31	E.E.Dhramjaigar Raigarh	313	0	0	-	-
32	E.E. Marwahi Bilaspur	335	-	-	0	0
33	E.E.Dongargaon	346	-	-	38900	0
34	E.E. Kelo Raigarh	347	-	-	1818004	0
35	E.E. CADA Raipur	348	-	-	19989	0
36	E.E. Narayanpur	349	-	-	665483	0
37	E.E.Thermal Proj Ambikapur	351	206171	0	-	-
38	E.E. Dn-01 Kharsiya	353	-	-	57983	0
39	E.E. Sukma	354	-	-	2101687	0
TOTAL			**8250844**	**0**	**9298604**	**0**

टीप: : जिस संभाग से जानकारी प्राप्त नहीं हुई है उसे सम्मिलित नहीं किया गया है।

Annexure-F

Statement-I

Common types of irregularities noticed in Central Audit on Works Divisions (WRD)

क्रं सं.	कार्यालय का नाम	आपत्ति का संक्षिप्त सार	राशि	जा. क्र व दि.
1.	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग-01, अम्बिकापुर	प्रमाणक एवं देयक में व्यय का पूर्ण विवरण नही होने के कारण राशि का अनियमित भुगतान	रु 11063886	09/30.07.2018 उत्तर अपेक्षित है।